श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2018 को इटाढी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बिझौरा में संध्या चौपाल की टिप्पणी।

दिनांक 12.05.2018 को इटाढी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिझौरा के मध्य विद्यालय, बिझौरा के प्रांगण में संध्या चौपाल आयोजित की गई। इस क्रम में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, इटाढी प्रखण्ड, इटाढ़ी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं बड़ी संख्या में नवयुवती, नवयुवक, महिला एवं पुरूष उपस्थित थे। संध्या चौपाल की टिप्पणी निम्नवत् है–

(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा संध्या चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया गया कि आपलोगों के द्वारा स्वच्छता के अन्तर्गत अच्छा कार्य किया गया है तथा 50 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण किया गया है। इसमें प्रगति लाते हुए शतप्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण कर पंचायत को खुले में शौच मुक्त करें तथा अपने पंचायत को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा बनायें।

(2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, इटाढ़ी प्रखण्ड के द्वारा बताया गया कि इस पंचायत को खुले में शौच मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके लिए और अधिक प्रयास किया जाना है। उनके द्वारा बताया गया कि खुले में शौच जाने से वह शौच उक्त ग्राम के निवासियों को विभिन्न स्रोतो के माध्यम से खाना पड़ता है। इस क्रम में बताया गया कि मक्खियां शौच पर बैठती है तथा उड़ कर खाने–पीने की सामग्रियों पर बैठती है, जिससे उनके पैर में लगा हुआ शौच हमारे खाने–पीने की सामग्रियों में फैल जाता है। अतः इससे बचने हेतु हमें खुले में शौच को त्यागना होगा तथा अपना शौचालय का निर्माण एवं उपयोग की जानी चाहिए। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खुले में शौच जाने से बच्चियों एव महिलाओं को काफी कठिनाइयों का समाना करना पड़ता है। उनके द्वारा अपील की गई कि अपने घरों में शौचालय बनायें तथा उपयोग करें एवं दूसरे को इस हेतु प्रेरित करे तथा 15 दिनों के अन्दर अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त करें। चौपाल में उपस्थित लोगों के द्वारा अपने पंचायत को 15 दिनों में खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु हाथ उठा कर आश्वासन भी दिया गया।

(3) उप विकास आयुक्त के द्वारा स्वच्छता के बारे में ग्रामीण जनता को अवगत कराते हुए खुले में शौच जाने से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। शौचालय निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई कि दो लिच पिट का शौचालय ही सबसे बेहतर होता है, जो कम पैसा में बनता है तथा अधिक समय तक चलता है। गढ्ढे में भरने वाला मल बाद में खाद बन जाता है जो किसानों के लिए काफी उपयोग होता है। ग्रामीण जनता को बताया गया कि खुले में शौचमुक्त हो जाने पर न केवल प्रोत्साहन राशि मिलेगी बल्कि पंचायत को अन्य योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा तथा कैम्प आयोजित कर यहाँ के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चौपाल में अपील की गई कि घर की महिलाओं एवं बच्चियों के सम्मान के लिए अपने घरों में शौचालय बनायें तथा उसका उपयोग करें।

(4) चौपाल में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपस्थित जन समुदाय का स्वागत किया गया तथा सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में निम्नवत् जानकारी दी गई–

(i) दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन के बारे में बताया गया कि दहेज एवं बाल विवाह जैसे कुरीति समाज के लिए अभिशाप है तथा इसे जागरूकता फैला कर समाप्त किया जाना है। लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 21 वर्ष के उम्र हो जाने के बाद ही की जानी है। यदि इससे कम उम्र में किसी लड़के/लड़की की शादी, उनके परिजनों के द्वारा की जा रही है अथवा विवाह में दहेज की मांगी का जा रही है, तो इसका विरोध करें। इसकी सूचना प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इसे रोका जा सके। यह एक सामाजिक आन्दोलन है अतः इसमें सभी लोगों की भागीदारी से ही देहज प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।

(ii) बिहार स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई। इस क्रम में बताया गया कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण दी जा रही है तथा इसमें अधिकतम 4 प्रतिशत के दर से ब्याज ली जाएगी। यदि निर्धारित ससमय सीमा से कम समय में ली गई राशि वापस की जाती है तो 0.25 प्रतिशत की छूट है। अथात् 3.75 प्रतिशत ही छूट है। छात्राओं के लिए मात्र 01 प्रतिशत ही ब्याज देय है तथा उसे भी कम समय में राशि भुगतान करने पर 0.25 प्रतिशत की छूट मिलेगा। इस योजना के लाभ हेतु बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार शिक्षा वित्त निगम से उक्त ऋण राशि छात्रों की दी जाएगी। छात्रों को बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वे विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक विषयों यथा कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त यदि को छात्र इन्टर पास हो तथा पढ़ाई छोड़ कर नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो उसे प्रतिमाह इस हेतु एक हजार रुपये भत्ता भी मिलेगा।

(iii) मद्य निषेध के बारे में जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि यदि कोई शराब का सेवन करता है अथवा कहीं बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो उसके बारे में थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या सीधे अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें। आपके सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी एवं आपका नाम भी गोपनीय रहेगा। यदि आप चाहें तो इसकी सूचना विभाग के दूरभाष पर दे सकते है। मद्य निषेध के प्रति सभी लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(iv) नाली गली पक्कीकरण एवं नल का जल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। इस क्रम में बताया गया कि यह योजना गॉव के लोगों के लिए योजना है इसलिए इसकी निगरानी करें ताकि योजना का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो सके।

(v) बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि घर के महिलाओं के सम्मान के लिए घर में शौचालय बनाया जाना आवश्यक है। खुले में शौच जाने होने वाले वीमारियों एवं महिलाओं एवं बच्चियों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए सभी को अपने घरों में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु अपील की गई।

बैठक में जानकारी दी गई वैसे वार्ड जिनमें 75 प्रतिशत घरों में शौचालय बन चुका है, उसमें जांचोपरान्त भुगतान की जाएगी। पंचायत/प्रखण्ड के खुले में शौच मुक्त हो जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। कचरा प्रबंधन आदि की व्यवस्था भी की जानी है।

(5) संध्या चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा निम्नवत् अपने समस्याओं को रखा गया तथा इस क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये–

(i) ढैचा का बीज किसानों को अब तक नहीं मिला है।

(ii) भैंसा लोगों को परेशान कर रहा है तथा कई लोगों का घायल कर दिया है। इसे इस क्षेत्र से हटाया जाय।

(iii) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वारे में जानकारी देने हेतु पदाधिकारियों को भेजा जाय।

(iv) विद्युत 20 घंटे रहता है, परन्तु सबसे बड़ी समस्या लो एवं हाई वोल्टेज की है, जिसके कारण काफी समस्या हो रही है। इसके अतिरिक्त दो–तीन वार्ड में पोल नहीं लगाया गया है। अतः पोल लगाकर विद्युत की व्यवस्था की जाय।

(v) इस पंचायत में उच्च विद्यालय है, परन्तु एक ही शिक्षक पदस्थापित है अतः शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाय ताकि पठन–पाठन हो सके।

(vi) गरीब लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है।

(vii) वार्ड संख्या 1 में जाने हेतु पथ निर्माण नहीं हो रहा है तथा विवाद है। समस्या का समाधान कराते हुए पथ का निर्माण कराया जाय।

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्नवत् निदेश दिये गये–

(01) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला कृषि कार्यालय से समन्वय स्थापित कर किसानों को ढैंचा का बीज उपलब्ध करायें।

(02) जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि भैंसा को उक्त क्षेत्र हटाने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

(03) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कौशल विकास केन्द्र के पदाधिकारियों को इस पंचायत में कैम्प के आयोजन हेतु भेजें।

(04) कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना को निदेशित किया जाता है कि बिझौरा पंचायत में लो–हाई वोल्टेज के समस्याओं के सामधान के साथ–साथ वंचित वार्ड में विद्युत पोल लगाकर विद्युत की आपूर्त्ति करायें।

(05) जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि बिझौरा उच्च विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन सुनिश्चित करायेंगे।

(06) अनाज वितरण के संबंध में बताया गया कि जिन लोगों अब तक अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है, वे प्रखण्ड के लोक सेवा अधिकार काउन्टर पर आवेदन जमा कर राशन कार्ड बनायें ताकि उन्हें अनाज प्राप्त हो सके।

(07) वार्ड सं0 1 के रास्ते में विवाद के संबंध में बताया गया कि आवदेन अंचल में जमा करें। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त विवाद के संबंध में शीघ्र समस्या का समाधान करायें।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-1605 गो0 दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि : कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/जिला पशुपालन पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति/कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, बक्सर/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बक्सर–सह–भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर–सह–मेंटर, इटाढ़ी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।